भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2291

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषा का उपयोग

2291. श्री नलीन कुमार कटील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में उच्च न्यायालय के कार्यकरण में उस राज्य विशेष की क्षेत्रीय भाषा एक आवश्यक घटक है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसी विशेष राज्य के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता/वादी को उनकी राजभाषा में मुद्दा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि उच्च न्यायालयों में संबंधित राज्यों की राजभाषा का उपयोग किया जाए ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (1) (क) में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी । संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) में यह कहा गया है कि खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

तारीख 21.05.1965 का मंत्रि-मंडल समिति का विनिश्चय यह उपदर्शित करता है कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा के प्रयोग के संबंध में किसी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति अभिप्राप्त की जानी है ।

राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग को संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (2) के अधीन वर्ष 1950 में प्राधिकृत किया गया था । तारीख 21.05.1965 के मंत्रिमंडल समिति के विनिश्चय के पश्चात्, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) उच्च न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श करके प्राधिकृत किया गया था ।

भारत सरकार ने क्रमश: मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तमिल, गुजराती, हिन्दी, बंगला और कन्नड़ के प्रयोग को अनुज्ञात करने के लिए तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त किए हैं । इन प्रस्तावों पर, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह मांगी गई थी और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 16.10.2012 के अपने डी.ओ. द्वारा संसूचित किया कि पूर्ण न्यायालय ने सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात्, इन प्रस्तावों को अस्वीकृत करने का विनिश्चय किया ।

तमिलनाडु सरकार से एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में तारीख 04.07.2014 के पत्र द्वारा अपने पूर्व के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने का और भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति को संप्रेक्षित करने का अनुरोध किया । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 18.01.2016 के अपने डी. ओ. पत्र द्वारा यह संप्रेक्षित किया है कि पूर्ण न्यायालय ने गहन विचार-विमर्श के पश्चात् इस प्रस्ताव को अननुमोदित कर दिया और माननीय न्यायालय के पूर्व में किए गए विनिश्चयों को ही दोहराया ।

****